

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,  
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

Email- Nodalofficerddn@gmail.com

Phone/Fax-0135-2767611

पत्रांक:- 1616 /FP/UK/MIN/149754/2021 दिनांक:देहरादून 04 जनवरी, 2023

सेवा में,

वन महानिरीक्षक (एफ0सी0),  
भारत सरकार,  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड़,  
अलीगंज, नई दिल्ली-110003।

विषय :- Renewal of diversion of forest land of 1497 ha of forest land in favor of Uttarakhand Forest Development Corporation, Mining Division, Haldwani for collection of Minor Minerals from Gaula River in Haldwani and Tarai East Forest Divisions, District Nainital (Uttarakhand) (Online proposal No. FP/UK/MIN/149754/2021) – reg.

सन्दर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की पत्र संख्या 8-61/1999-एफ0सी0 (Pt.IV) दिनांक 14-12-2022

महोदय,

विषयांकित प्रकरण पर भारत सरकार के उपरोक्त सन्दर्भित EDS दिनांक 14-12-2022 के क्रम में वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी द्वारा उपलब्ध करायी गयी बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है :-

क्र0सं0	प्रश्न	उत्तर
1	The State / UA has applied for the renewal of diversion of forest land for next 10 years, however, the mining plan has been approved upto February 2023 only. Further, the State has informed taht the mining plan is under process for approval for 5 years. In this regard, the approved mining plan for commensurate time period is required to be provided.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक का अनुमोदित/स्वीकृत माईनिंग प्लान उपलब्ध कराया गया है, जो प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है (संलग्नक-1) साथ ही अनुमोदित/स्वीकृत माईनिंग प्लान परिवेश पोर्टल पार्ट-1 में भी अपलोड किया गया है।
2	KML files of the CA area measuring 250.0ha and 173.65 ha have not be submitted, which may be provided.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2022-23 में किये गये क्षतिपूरक वृक्षारोपण कुल 250.0 है0 (तराई पूर्वी वन प्रभाग 160.00 है0, नैनीताल वन प्रभाग- 90.00 है0) की KML Files की सी0डी0 प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-2) साथ ही प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अवशेष 173.65 ha क्षतिपूरक वृक्षारोपण को कैम्पा योजना के वर्ष 2023-24 की वार्षिक कार्ययोजना में अग्रिम मृदा कार्य हेतु प्रस्तावित किया जा रहा है अर्थात 173.65 है0 वृक्षारोपण क्षेत्र के KML Files वर्तमान में उपलब्ध किया जाना संभव नहीं है।

A



3	As per the DSS analysis Dogadi Block Plot-1B(12ha), Dogadi block Plot-1c(30ha), and Dogadi I Beat, Plot No.1B(9ha) are partially falling on the river bed. Therefore the Correct KML file of these CA areas may be provided.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files की सी0डी0 पत्र के साथ संलग्न है।
4	Some of the CA sites are found overlapping. These CA sites are (1) Chinni 14 Plot-1(10ha), and Chini 14, Plot 2(10ha), (2) Dogadi Block Plot&1b(12ha) and Dogadi I Beat, Plot NO. 1b (9ha). Correct KML file may be provided.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि सम्बन्धित वृक्षारोपण क्षेत्रों की KML Files Online की सी0डी0 पत्र के साथ संलग्न है।
5	Cost Benefit Analysis has not been submitted as per the format prescribed in the FCA, Handbook of guidelines dated 28-03-2019.	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार एफ0सी0ए0 दिशानिर्देशों की पुस्तिका के अनुपालन में निर्धारित प्रारूप में Cost Benefit Analysis तैयार कर परिवेश पोर्टल में अपलोड किया गया है।
6	<p>The State Govt has provided the survival percentage of various CA plantations which varies form 5-96%. The reasons/justification for the low survival percentage may be specified.</p> <p>Further the IRO has carried out the Site Inspection of CA sites in this case it has been observed that as per the report of IRO (copy enclosed) the area of Kot Kharra S.No. 81-77 is 16.0 ha whereas the state has mentioned the same to be 14.0ha only, which may be looked into and corrected.</p>	<p>वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व में प्रेषित क्षतिपूरक वृक्षारोपण की सूची को पुनरीक्षित कर मानकों से कम सफलता प्रतिशत वाले वृक्षारोपण क्षेत्रों के स्थल विशेष कारण/औचित्य निर्धारित प्रारूप में प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र के साथ संलग्न है। (संलग्नक-3) परिवेश पोर्टल पार्ट-2 के additional information में भी उक्त प्रारूप अपलोड किया गया है।</p> <p>वन संरक्षक द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभाग स्तर पर संधारित अभिलेखों एवं वृक्षारोपण पंजिका अनुसार कोटखर्रा द0अ प्लाट संख्या 77, 80, 81 भाग का वास्तविक क्षेत्रफल 14.00 है0 है। संभवतः आई0आर03110 कार्यालय से लिपिकीय त्रुटिवश 14.00 है0 के स्थान पर 16.00 अंकित किया गया प्रतीत होता है।</p>
7	As per the condition no.(ix) of the previous approval the State Government was required to constitute a committee to review annually the status of compliance of the stipulated conditions and issue appropriate direction to the user agency in case of any deviation as well as any hazard due to non-removal of minor minerals from the protected corridor. The collection of miner minerals after 31st day of January in a year was to be allowed only after receipt of certificate from the Monitoring Committee that the conditions,	वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि भारत सरकार की अनुमति संख्या-F.No-8-61/1999-FC, dated-23.01.2013 की शर्त संख्या-9 के अनुपालन में उत्तराखण्ड शासन, वन एवं पर्यावरण अनुभाग की पत्र संख्या-14-1/X-3-13-08(14)/2009] दि0 29.01.2013 द्वारा प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। अनुश्रवण समिति द्वारा उपरोक्त स्वीकृति आदेश दिनांक-23 जनवरी, 2013 में उल्लेखित शर्तों के अनुपालन के अनुश्रवण हेतु प्रत्येक वर्ष बैठक कर विगत कैलेण्डर वर्ष की समीक्षा की गयी है। वर्ष 2017 से 2022 तक अनुश्रवण



<p>stipulated in the approval accorded under the Forest (Conservation) Act, 1980 and the instructions issued by the Monitoring Committee have satisfactory been complied in collection of the minor minerals during the previous calendar year". The copy of notification of the said committee and action taken reports of the committee may be provided.</p>	<p>समिति द्वारा जारी कार्यवृत्त को छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित है। (संलग्नक-4)</p>
--	--

अतः वन संरक्षक/प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित प्रतिउत्तर के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने पर विचार करने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)  
 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
 वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या- 1616 / FP/UK/MIN/149754/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. वन संरक्षक, पश्चिमी वृत्त, उत्तराखण्ड हल्द्वानी के पत्रांक 1138/12-1 दिनांक 03-01-2023 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, तराई पूर्वी वन प्रभाग, हल्द्वानी।
3. प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन गोला, हल्द्वानी प्रभाग, हल्द्वानी।

04/01/23

(एस0एस0 रसाईली)  
 अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
 वन संरक्षण, देहरादून।

9/C

ae. copy received  
 04-1-2023  
 D. L. M.  
 Sharda  
 Tankpur.